रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2014/श्रावण 8, 1936
No. 392] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2014/SHRAVANA 8, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 543(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, प्रारूप नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 24 अप्रैल, 2014 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 290 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 2014 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (i) के अधीन अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवमान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 29 अप्रैल, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा 1 के खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (14वां संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1980 के नियम 115 क के उपनियम (8) के "प्रत्येक गैसोलीन" शब्दों से आरंभ होने वाले और "निम्नलिखित सारणी 2" शब्दों तथा अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8 प्रत्येक गैसोलिन चालक शक्ति टिलर 1 जुलाई, 2013 से और 1 अक्तूबर, 2014 से विनिर्मित प्रत्येक गैसोलीन बहुउपयोगों औद्योगिक विद्युत स्वीपर और प्रत्येक गैसोलीन कृषि ट्रैक्टर भारत स्टेज–III सनियमों और भारित औसत द्रव्यमान उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करेगा, जब निम्नलिखित सारणी 1 में यथा विनिर्दिष्ट आठ परीक्षण रीति चक्र के अनुसार टाईप अनुमोदन (टी ए) और उत्पादन की पुष्टि (सी ओ पी) के लिए परीक्षण किया जाता है तो वह नीचे सारणी 2 में यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा ।"

[फा.सं. आर टी -11036/58/2013-एम.वी. एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. सं. 534(अ), तारीख 24 जुलाई, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2014

G.S.R. 543(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R.290 (E) dated the 24th April, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 24th April, 2014 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 24th April, 2014;

And whereas, no objections or suggestions have been received from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (14th Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115-A, in sub-rule (8), in the opening portion beginning with the words "Every gasoline" and ending with the words and figure "following Table 2:-" the following shall be substituted, namely:—

"Every gasoline driven power tiller manufactured on and from 1st July, 2013 and every gasoline multi-utility industrial power sweeper and every gasoline agricultural tractor manufactured on and from 1st October, 2014 shall comply with the Bharat Stage III norms and the weighted average mass emission standards, when tested for Type Approval (TA) and Conformity of Production (COP) in accordance with the eight mode test cycle as specified in the following Table 1, shall not exceed the limits as specified in the Table 2 below:- ".

[F.No. RT-11036/58/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. 534 (E), dated 24th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.